**प्रेस नोट**

**जनपद सीतापुर**

# हत्याभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

**दिनांक: 26.08.2021**

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज दिनांक 26.08.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना अटरिया से सम्बन्धित मु0अ0सं0 62/17 धारा 302 भादवि बनाम राजेन्द्र उर्फ छोटकन्नऊ पुत्र सुखराम निवासी ग्राम मरहा मजरा उमरा थाना अटरिया जनपद सीतापुर में अटरिया पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 26.08.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-06 सीतापुर द्वारा हत्याभियुक्त राजेन्द्र उर्फ छोटकन्नऊ उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 25,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

........................................................